

**दिनांक 19.09.2024 को थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत परसपुरा में एक लडके (24 वर्ष) को मारपीटकर**

**छत से फेक देने जिससे उसकी मृत्यु हो जाने मामले में संलिप्त 04 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.09.2024 थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत परसपुरा में एक लडके को मारपीटकर छत से फेक दिये जिससे उक्त लडके की मृत्यु हो जाने मामले में आज दिनांक 22.09.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढुआ गोदाम के पास से मु0अ0सं0 373/24 धारा 191(2), 103(1), 109, 115(2), 352 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण शैलेश कुमार पुत्र रामनाथ, विशाल कुमार पुत्र रामनाथ निवासीगण खिरखाड़ थाना रानीपुर, विपुल कुमार पुत्र हरिन्द्र राम निवासी परसपुरा, रोहित कुमार पुत्र हिरालाल निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-**

1. शैलेश कुमार पुत्र रामनाथ निवासी खिरखाड़ थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. विशाल कुमार पुत्र रामनाथ निवासी खिरखाड़ थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. विपुल कुमार पुत्र हरिन्द्र राम निवासी परसपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. रोहित कुमार पुत्र हिरालाल निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

**चोरी की 09 अदद मोटर, टुल्लू, छिडकाव मशीन व 01 अदद मोटरसाईकिल तथा 01 अदद मैजिक के साथ 05 शातिर चोर गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेवरीडीह अण्डर पास से चोरी से संबंधित अभियुक्तगण महेश राजभर पुत्र हरिशचन्द्र राजभर, दिलीप साहनी पुत्र स्व0 विनोद साहनी, प्रताप राजभर पुत्र लालाजी राजभर, विशाल राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासीगण सनेखपुर, रोहित राजभर पुत्र अमित राजभर निवासी सुल्तानपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की सिचाई करने वाली 09 अदद मोटर, एक अदद टुल्लू पम्प, एक अदद छिडकाव मशीन व चोरी करने में प्रयुक्त एक अदद मैजिक (यूपी 54एटी3091) तथा एक अदद मोटरसाईकिल(यूपी54एवी6289) बरामद किया गया। जो संबंधित मु0अ0सं0 255/24 धारा 303(2),307,317(2)(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 205/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस अभियोग में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। तथा उक्त चार पहिया व दो पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-**

1. महेश राजभर पुत्र हरिशचन्द्र राजभर निवासी सनेखपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
2. दिलीप साहनी पुत्र स्व० विनोद साहनी निवासी सनेखपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
3. प्रताप राजभर पुत्र लालाजी राजभर निवासी सनेखपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
4. विशाल राजभर पुत्र हरिशचन्द्र राजभर निवासी सनेखपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
5. रोहित राजभर पुत्र अमित राजभर निवासी सुल्तानपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।

**बरामदगी-**

1. चोरी की सिचाई करने वाली 09 अदद मोटर ।
2. एक अदद टुल्लू पम्प ।
3. एक अदद छिडकाव मशीन ।
4. चोरी करने में प्रयुक्त एक अदद मैजिक (यूपी 54एटी3091) तथा एक अदद मोटरसाईकिल(यूपी54एवी6289) ।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह, उ०नि० हरिकेश यादव, हे०का० नरेन्द्र यादव, का० सतवंत, का० अवधेश कुमार, का० पप्पु कुमार, का० मंजीत कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ ।